बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 103 / 2018–

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–

विषय – गया जिलान्तर्गत तिलैया–ढाढर अपसरण योजना के तहत पाण्डेय बिगहा वितरणी निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.7692 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत तिलैया–ढाढर अपसरण योजना के तहत पाण्डेय बिगहा वितरणी निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.7692 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। परियोजना का निर्माण गया जिलान्तर्गत मौजा पडमौल एवं बिछा में होना है। विषयांकित भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या C/F17053/54-2485R दिनांक 12.05.1954 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना निर्माण के क्रम में 0.7692 हे० वन भूमि एवं शून्य वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं वन संरक्षक, गया अंचल, गया द्वारा किया गया है।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि के रेखांकण को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा, Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0 अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। वन भूमि अपयोजन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं वन संरक्षक, गया का अनुशंसा प्राप्त है।

4. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। नियमतः वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन नियामावली 2003 के आलोक में District Collector को FRA, 2006 certificate देने संबंधी कार्रवाई Stage-I की स्वीकृति के पूर्व निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न कर लेनी चाहिए तथा वन संरक्षक को FRA, 2006 certificate उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार नियमावली 2003 के अनुसार Stage-I (in-principle Approval) के पूर्व की Time-line में District Collector के द्वारा FRA, 2006 Certificate

प्रदान करने का प्रावधान तथा मंत्रालय के पत्र द्वारा यथा वर्णित Stage-I (in-principle Approval) के बाद लगायी गई शर्त्तों के अनुपालन के समय–सीमा में जिला पदाधिकारी द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का निर्देश, विरोधाभासी प्रतीत होता है। फिर भी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

5. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 0.7692 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 1.5384 हे० अर्थात् 1.6 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, गया के गुरपा प्रक्षेत्र अन्तर्गत टेलहेटा PF को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.7692 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,81,519/– (रूपये चार लाख इकासी हजार पाँच सौ उनीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 0.7692 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलन्तर्गत 1.6 हे० अवकृष्ट वन भूमि टेलहेटा सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 14,69,595/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./103/2018– 642 दिनांक– 03/09/2019

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज, (गया)/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.9.19

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

O/C